डस्टबिन में ही डालें कूड़ा-कचरा, नहीं तो देना होगा 25 हजार का जुर्माना

Directorate of Municipal Administration, Urban Development & Housing Department
DMA

डोमचांच नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सबों का सहयोग जरूरी : शशि प्रकाश

खुले स्थान पर कचड़ा फेकने से परहेज करे, डस्टबिन का शतप्रतिशत उपयोग करे

संवाददाता

कोडरमा : डोमचांच नगर पंचायत सी टी मैनेजर शशि प्रकाश ने आज सोमवार को डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गौरी काम्प्लेक्स के पास साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा आस पास के होटल, फल दुकान को ये निर्देश दिया कि अपने प्रतिष्ठान, दुकान से निकलने वाले कचड़े को इकठ्ठा करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें तथा उक्त कचड़े को नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा चलाये जा रहे ऑटो टिपर में डालें या आस पास रखे बड़े डस्टबिन में कचड़े को डालें। अगले बार से खुले में कचड़े को फेकेंगे तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत 25 हजार रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। विदित हो कि आमजनों के द्वारा ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गौरी काम्प्लेक्स के आस पास के फल और होटल दुकानदारों के द्वारा कचड़े को डस्टबिन में ना डाल कर खुले में फेंका जा रहा था जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुचने की संभावना थी।

इसलिए आज जो लोग कचड़ा खुले में फेकते हुए पकड़ाए उन्हें कचड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने हेतु जागरूक किया गया तथा सख्त निदेश दिया गया कि अगले बार से खुले में कचड़े को फेकेंगे तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत 25 हजार रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।

खुले में कचड़ा फेंकने पर 25 हजार तक हो सकता है जुर्माना

डोमचांच(आजाद सिपाही)। नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गौरी काम्प्लेक्स के पास साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण नगर प्रबंधक के द्वारा किया गया तथा आस पास के होटल, फल दुकान को ये निर्देश दिया गया कि अपने प्रतिष्ठान, दुकान से निकलने वाले कचड़े को इकठ्ठा करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें तथा उक्त कचड़े को नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा चलाये जा रहे ऑटो टिपर में डालें या आस पास रखे बड़े डस्टबीन में कचड़े को डालें। विदित हो कि आमजनों के द्वारा ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गौरी काम्प्लेक्स के आस पास के फल और होटल दुकानदारों के द्वारा कचड़े को डस्टबिन में ना डाल कर खुले में फेंका जा रहा था जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुचने की संभावना थी। इसलिए नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा उक्त शिकायत पर त्वरित करवाई करते हुए नगर प्रबंधक के द्वारा सुपरवाइजर के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। जो लोग कचड़ा खुले में फेकते हुए पकड़ाए उन्हें कचड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने हेतु जागरूक किया गया तथा सख्त निदेश दिया गया कि अगले बार से खुले में कचड़े को फेकेंगे तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत 25 हजार रुपये तक का जुमार्ना आरोपित किया जायेगा।

खुले में कचड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, 25,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है जुमार्ना

डोमचांच (कोडरमा): नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत गौरी काम्प्लेक्स के समीप साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। साथ ही आस पास के होटल, फल दुकान को ये निर्देश दिया गया कि अपने प्रतिष्ठान, दुकान से निकलने वाले कचड़े को इकठ्ठा करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें तथा उक्त कचड़े को नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा चलाये जा रहे ऑटो टिपर में डालें या आस पास रखे बड़े डस्टबिन में ही कचड़े को डालें। विदित हो कि आमजनों के द्वारा ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। कि गौरी काम्प्लेक्स के आस पास के फल और होटल दुकानदारों के द्वारा कचड़े को डस्टबिन में ना डाल कर खुले में फेंका जा रहा था। जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुचने की संभावना थी। इसलिए नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा उक्त शिकायत पर त्वरित करवाई करते हुए नगर प्रबंधक के द्वारा सुपरवाइजर के साथ उक्त स्थल निरीक्षण किया गया। तथा जो लोग कचड़ा खुले में फेकते हुए पकड़ाए उन्हें कचड़े को इकठ्ठा करके डस्टबिन में डालने हेतु जागरूक किया गया। तथा सख्त निदेश दिया गया कि अगले बार से खुले में कचड़े को फेकेंगे तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत 25,000 रुपये तक का जुमार्ना आरोपित किया जाएगा।

खुले में कचरा फेंकने पर 25 हजार रुपये तक हो सकता है जुमार्ना

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

डोमचांच : नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत गौरी काम्प्लेक्स के पास साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण नगर प्रबंधक के द्वारा किया गया तथा आस पास के होटल, फल दुकान को ये निर्देश दिया गया कि अपने प्रतिष्ठान, दुकान से निकलने वाले कचड़े को इकठ्ठा करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें तथा उक्त कचड़े को नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा चलाये जा रहे ऑटो टिपर में डालें या आस पास रखे बड़े डस्टबीन में कचड़े को डालें। विदित हो कि आमजनों के द्वारा ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि गौरी काम्प्लेक्स के आस पास के फल और होटल दुकानदारों के द्वारा कचड़े को डस्टबिन में ना डाल कर खुले में फेंका जा रहा था जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुचने की संभावना थी। इसलिये नगर पंचायत डोमचांच के द्वारा उक्त शिकायत पर त्वरित करवाई करते हुए नगर प्रबंधक के द्वारा सुपरवाइजर के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। जो लोग कचड़ा खुले में फेकते हुए पकड़ाए उन्हें कचड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने हेतु जागरूक किया गया तथा सख्त निदेश दिया गया कि अगले बार से खुले में कचड़े को फेकेंगे तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत 25 हजार रुपये तक का जुमार्ना आरोपित किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA